प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 3171/2024

1 – रुद्राराम नागवंशी पिता स्वर्गीय श्री रामचरण नागवंशी उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम–बिराजपाली, वार्ड क्रमांक 1, पुलिस थाना बागबहरा, जिला–महासमुंद, छ.ग. (अभियुक्त)

2 – बेंजामिन सिक्का पिता श्री ईश्वरदन सिक्का उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी नया रायपुर, अटल नगर, विकास प्राधिकरण, पुलिस थाना राखी, जिला–रायपुर, छ.ग.

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना पिथौरा जिला–महासमुंद, छ.ग. (अभियोजन)

2 – जिला मजिस्ट्रेट महासमुंद, जिला–महासमुंद, छ.ग.

3 – नरेंद्र सेन पिता प्यारेलाल सेन उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम–अमलिडे, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद, छ.ग. (परिवादी)

4 – तहसीलदार पिथौरा, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद, छ.ग.

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं हेतु :श्री सुरफराज खान, अधिवक्ता की ओर से श्री ऋषि साहू, अधिवक्ता उपस्थित

राज्य हेतु : श्री नीरज शर्मा, उप–महाधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर आदेश

19/02/2025

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अधीन वर्तमान याचिका सत्र न्यायाधीश, महासमुंद, जिला महासमुंद द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक एच 24/2024 में पारित दिनांक 11/09/2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके अधीन जेएमएफसी, पिथौरा,

जिला महासमुंद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1246/2023 में पारित दिनांक 30/05/2024 के आदेश को दं.प्र.सं. की धारा 239 के अधीन आवेदन को खारिज करने की पुष्टि की गई है।

2. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में यह है कि ऋण पुस्तिका (किसान किताब) में की गई विसंगति के संबंध में तहसीलदार पिथौरा के समक्ष दिनांक 13–03–2018 एवं 23–03–2018 को तथा एसडीओपी थाना पिथौरा के समक्ष दिनांक 08–10–2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि याचिकाकर्ता तत्कालीन पटवारी बेंजामिन सिक्का ने जिला कार्यालय महासमुंद से तहसील कार्यालय पिथौरा के लिए ऋण पुस्तिका ली तथा 800 ऋण पुस्तिकाएं जमा नहीं की तथा कोटवार रूद्रराम नागवंशी ने जिला कार्यालय महासमुंद से 1000 ऋण पुस्तिकाएं तहसील कार्यालय पिथौरा को दी परंतु 800 ऋण पुस्तिकाएं जमा नहीं की गई। ऋण पुस्तिका क्रमांक 1833998 एवं 2080006 जो जमा नहीं किया गया, उनमें क्रमशः खेमिनबाई पति रघुनाथ एवं शांतिबाई पति भूठेल के नाम से फर्जी पट्टा बनाया गया। उक्त शिकायत की जांच के बाद पिथौरा थाने में श्री विपिन प्रधान, बेंजामिन सिक्का, तत्कालीन पटवारी एवं कोटवार रूद्रराम नागवंशी के विरुद्ध शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ एवं संयुक्त रूप से जालसाजी करने के आरोप में धारा 420, 467, 468, 471, 120 ख भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध क्रमांक 128/2019 पंजीकृत किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उपरोक्त अपराध क्रमांक 128/2019 के अन्वेषण के दौरान पाया गया कि बेंजामिन सिक्का ने वर्ष 2014 से 2015 के मध्य जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से 3300 ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त की, किन्तु मात्र 2500 ऋण पुस्तिकाएं ही तहसील कार्यालय पिथौरा में जमा की, 800 ऋण पुस्तिकाओं के संबंध में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी प्रकार कोटवार रूद्रराम नागवंशी ने भी 1000 ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त कर मात्र 800 ऋण पुस्तिकाएं ही जमा की। उक्त अवधि में अभियुक्त विपिन प्रधान उक्त कार्य देख रहा था। इस प्रकार उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 ख के अंतर्गत आरोप पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

4. उक्त दाण्डिक प्रकरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त अपराध से मुक्त किये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अन्तर्गत दिनांक 12–02–2024 को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षीगण का उत्तर प्राप्त करने तथा दोनों पक्षकारों के तर्कों को सुनने के पश्चात दिनांक 30/05/2024 के आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दिनांक 30/05/2024 के उक्त अस्वीकृति आदेश को सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई तथा पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा दं. प्र.सं. की धारा 156 (3) के अधीन दायर आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने वाला आदेश जेएमएफसी द्वारा पारित किया जा सकता है, न कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा। उन्होंने आगे

तर्क दिया कि शक्ति का उक्त प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नमन सिंह उर्फ नमन प्रताप सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य {दाण्डिक अपील क्रमांक 1620/2018, 13/12/2018 को विनिश्चित}** के प्रकरण में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध है। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि सत्र न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11/09/2024 और 30/05/2024 के आदेशों को अपास्त किया जाये और याचिकाकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उन्मोचित किया जाये।

6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायाधीश के साथ–साथ जेएमएफसी के आदेश उचित हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना हैं और दोनों न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया है।

8. सीआरपीसी की धारा 240 में आरोप विरचित करने का प्रावधान है जो इस प्रकार है:

> "240. आरोप विरचित करना.– (1) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय में यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसके लिए उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दण्ड दिया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धारा 240 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे या मजिस्ट्रेट की राय में यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अध्याय 19 के अधीन विचारणीय अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसके लिए वह पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता है।

10. **एआईआर 2013 एससी 52 – शोराज सिंह अहलावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में दर्ज एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रकरण की सुनवाई कर रहे न्यायालय मात्र उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारण के आधार पर ही आरोप से उन्मोचित करने का निर्देश दे सकती है और केवल तभी जब वह यह समझे कि आरोपी के विरुद्ध आरोप निराधार हैं।

11.सीआरपीसी की धारा 397 के अधीन हस्तक्षेप और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे को उनके माननीय न्यायाधीश ने **राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरण मेहदू** के प्रकरण में फिर से दोहराया, जिसको **एआईआर 2017 एससी 796** में प्रतिवेदित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

है कि आरोप विरचित करने के चरण में, न्यायालय को आरोप के साक्ष्य से कोई सरोकार नहीं होता है, बल्कि उसे सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना होता है और यह राय बनानी होती है कि क्या इस बात का प्रबल संदेह है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, जिसे अगर विचारण में रखा जाए, तो उसका अपराध साबित हो सकता है। आरोप विरचित करना कोई ऐसा चरण नहीं है, जिस पर दोष का अंतिम परीक्षण लागू किया जाए।

12. दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बेंजामिन सिक्का को वर्ष 2014 से 2015 के मध्य जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से 3300 ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त हुई थीं, लेकिन केवल 2500 ऋण पुस्तिकाएं ही तहसील कार्यालय पिथौरा में जमा की गईं तथा उन्होंने 800 ऋण पुस्तिकाओं का कोई हिसाब नहीं दिया। इसी प्रकार कोटवार रुद्रराम नागवंशी ने भी 1000 ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त कर केवल 800 ऋण पुस्तिकाएं ही जमा कीं तथा पुनरीक्षणकर्ताओं ने उन ऋण पुस्तिकाओं का दुरुपयोग किया, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, बहस के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि पक्षकारों के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा कुछ साक्षियों का परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथा इस प्रकरण में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद साक्षियों के साक्ष्य के चरण में है, मैं इस चरण में आरोप विरचित करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं।

14. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**